

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

शेडिन बनाम अहडुल गानी मु.नं. 179 वर्ष 2025
 किस्म मुकदमा दावा (53,188)

दिनांक	आज्ञा - पत्र
19/09/25	वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 09.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धौद जिला सीकर
09/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। पत्रावली वाले तलबी जरिये Reg. no. दि. 20/11/25 को पेश हो।
20/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। पत्रावली वाले तलबी जरिये तलबी के लिए पत्रावली को पेश हो।
20/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी एवं हथुपसिता न्यायालय लागू के वकील वादी व वादी को धाक-धाक भिन्न-भिन्न जरी। उक्त के वाक्या भीको उपस्थित नहीं हो। पत्रावली गयी स्वरूप पत्रावली कल देली। अज्ञात/जि के अज्ञात किने उक्त के कोस बिने कारकी पत्रावली पेश हुवे हो। तलबी तलबी उपर।



उपखण्ड अधिकारी
 धौद जिला-सीकर

